कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

पत्रांकः 271 /नजारत अनु0/वाहन किराया निविदा/2020–21 दिनांकः 24-8-2020

निविदा सूचना

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून में तीन वर्ष (2020–21 से 2022–23 तक) हेतु विभिन्न व्यवसायिक वाहनों यथा **टाटा जेस्ट/ टीगोर /हुण्डई एक्ससेन्ट/इण्डिगो/रिट्ज/स्वीफट डिजायर, बोलेरो/अर्टिगा, टयोटा इनोवा/इनोवा क्रिस्टा, महिन्द्रा स्कॉपियो/एक्स0यू0वी0 500/मराजो/हुण्डई क्रेटा,** (ए0सी0 सहित, पॉवर विन्डो, पॉवर स्टेयरिंग, डीजल), **जे0सी0बी0 वाहन प्रति घंटा एवं प्रतिदिन का किराया** (डीजल) अनुबन्ध आधार पर आवश्यकता है। वाहन स्वामी/फर्म का पंजीयन जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0ओ0, ई0एस0आई0सी0 के अन्तर्गत होना अनिवार्य है। उक्त निविदायें दो निविदा प्रणाली के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 8/9/2020 को अपरान्ह 3:00 बजे तक ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक ऑनलाईन डाली जायेगी। ऑनलाईन प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रणाली से तकनीकी निविदा सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा की शर्तें प्राधिकरण की वेबसाईट www.mddaonline.in में देखी जा सकती है।

(हस्ताक्षर)
नजारत प्रभारी

अनुबन्ध आधार पर वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये निविदा प्रपत्र

(क) निविदा का आमंत्रण (**Invitation to Bid**)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून में तीन वर्ष (वर्ष 2020–2021 व 2021–22 तथा 2022–23 तक) हेतु विभिन्न व्यवसायिक वाहनों यथा टाटा जेस्ट/ टीगोर /हुण्डई एक्ससेन्ट/इण्डिगो /रिट्ज/स्वीफट डिजायर, बोलेरो/अर्टिगा, टयोटा इनोवा/इनोवा क्रिस्टा, महिन्द्रा स्कोर्पियो/एक्स0यू0वी0 500/मराजो/हुण्डई क्रेटा, (ए0सी0 सहित, पॉवर विन्डो, पॉवर स्टेयरिंग, डीजल), जे0सी0बी0 वाहन प्रति घंटा एवं प्रतिदिन का किराया (डीजल) अनुबन्ध आधार पर आवश्यकता है। वाहन स्वामी/फर्म का पंजीयन जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0ओ0, ई0एस0आई0सी0 के अन्तर्गत होना अनिवार्य है। उक्त निविदायें दो निविदा प्रणाली के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 08-09-2020 को अपरान्ह 3:00 बजे तक ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक ऑनलाईन डाली जायेगीं। ऑनलाईन प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रणाली से तकनीकी निविदा सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। एक ही लिफाफे के अन्दर हस्तचालित (मैनुअल) दो अलग–अलग लिफाफे तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

(ख) निविदादाता को सामान्य निर्देशः–

1. वाहन का प्रकार

क्र0 सं0	वाहन का नाम	मॉडल 2018	मासिक किराया बिना ईंधन	दैनिक किराया बिना ईंधन	औसत/ लीटर
1.	टाटा जेस्ट/टीगोर /हुण्डई एक्ससेन्ट /इण्डिगो/रिट्ज/स्वीफट डिजायर (ए0सी0 सहित) (डीजल)				
2.	बोलेरो/अर्टिगा (ए0सी0 सहित) (डीजल)				
3.	टयोटा इनोवा/इनोवा क्रिस्टा (ए0सी0 सहित) (डीजल)				
4.	महिन्द्रा स्कोर्पियो/एक्स0यू0वी0 500/मराजो/हुण्डई क्रेटा (ए0सी0 सहित) (डीजल)				
5.	जे0सी0बी0 प्रति घंटा एवं प्रतिदिन का किराया				

2. तकनीकी बिड के साथ जमा किये जाने वाले अभिलेख एवं शर्तें।

2.1 निविदा शुल्क की धनराशि रू0 1180—00 सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा।

2.2 निविदा के साथ रू0 50,000/— (रू0 पचास हजार मात्र) की धरोहर धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है, जो सचिव, एम.डी.डी.ए, देहरादून के पक्ष में एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में देय होगी।

2.3 फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.4 फर्म का ई0पी0एफ0ओ0 (Employees Provident Fund Organization) और ई0एस0आई0सी0 (Employee State Insurance Corporation) में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जो उक्त विभागों में 01 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो।

2.5 फर्म का PAN संख्या होना आवश्यक है, इसके प्रमाण के रूप में स्वप्रमाणित फोटो कॉपी की प्रति उपलब्ध कराना होगा।

2.6 फर्म का GST में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेख जमा करना होगा।

2.7 फर्म को पिछले 03 वर्षों की ITR की प्रमाणित फोटो कॉपी की प्रति जमा करानी अनिवार्य होगी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016—17, 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 भी हो सकता है।

2.8 फर्म/निविदादाता द्वारा विगत 03 वर्षो का सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभाग में वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.9 फर्म के नाम अथवा फर्म के स्वामी के नाम कम से कम 05 वाहन पंजीकृत होने अनिवार्य है जो वर्ष 2018 मॉडल से पुराने न हों। अन्य अनुबन्धित वाहनो हेतु अनुबन्ध/पावर ऑफ एटर्नी द्वारा प्राप्त वाहनों से सम्बन्धित प्रपत्रो की छायाप्रति संलग्न करें।

2.10 फर्म का उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवलपमेन्ट बोर्ड (UTDB) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

2.11 उपरोक्त में से यदि किसी निविदा की शर्त पूर्ण नही होती है तो निविदादाता की वित्तीय दरों सम्बन्धी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा मूल्य

3.1 प्रविष्टि में संशोधन, यदि कोई हो तो, को काट कर पुनः लिखकर पूर्ण हस्ताक्षर करके किया सकेगा। उपलेखन मान्य नहीं होगा।

3.2 निविदा मूल्य में सभी प्रकार के शुल्क/लोकल टैक्स आदि जो सेवाओं पर देय होते है, सम्मिलित माने जायेगें।

3.3 जी0एस0टी0 कर पृथक से देय होगा, जिसे पृथक से दर्शाया जाऐगा।

3.4 प्रस्तुत निविदा मूल्य पूरे अनुबन्ध की अवधि हेतु मानी जाऐगी एवं इसमें किसी भी कारण से संशोधन नहीं किया जाऐगा।

3.5 प्रत्येक निविदादाता केवल एक ही ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करेगा, एक से अधिक निविदा प्रस्तुत किये जाने पर उसकी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाऐगा।

4. .निविदा की वैधता

4.1 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा दर निविदा खोलने की तिथि के 90 दिनों हेतु वैध मानी जाऐगी।

5. .निविदा का मल्यूांकन

5.1 विभाग उन सभी निविदाओं का मूल्यांकन करेगा, जो इंगित शर्तो को पूरा करते हो तथा तकनीकी रूप से सफल घोषित किये गये हों एवं यथास्थान हस्ताक्षरित हों।

5.2 निविदा की शर्तो एवं विशिष्टताओ को पूरा करते हों।

5.3 निविदा उपरोक्त **बिन्दु –ख के क्रमांक –01** में अंकित सभी वाहनों हेतु पृथक–पृथक मूल्यांकन किया जायेगा।

6. संविदा की स्वीकृति

6.1 निविदा की शर्तो के आधार पर न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता की निविदा स्वीकृत की जायेगी एवं उसके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

6.2 उपाध्यक्ष को निविदा की स्वीकृति के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।

6.3 सफल निविदादाता को एक नान ज्यूडिशियल स्टांप रू0 100/– में अनुबन्ध करना होगा। निविदा प्रपत्र अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

(ग) निविदा की अन्य शर्तेः–

1. कुल लागत पर जमानत राशि 10 प्रतिशत अनुबन्ध से पूर्व जमा कराना होगा।
2. निर्धारित मासिक किराये की दरों के अतिरिक्त ईंधन की कीमत का भुगतान प्रति कि0मी0 की दरों पर **बिन्दु –ख क्रमांक– 01** के अनुसार देय होगा। रात्रि विश्राम चार्ज (रात्रि 10.00 बजे प्रातः 5.00 बजे तक) रू0 200.00 प्रति रात्रि पृथक से देय होगा जो एम.डी.डी.ए द्वारा वहन किया जायेगा।
3. उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर सभी प्रकार के शुल्क फर्म/वाहन स्वामी द्वारा दिया जायेगा।
4. अपरिहार्य परिस्थितियों में निविदा आंमत्रण में विलम्ब की स्थिति में अनुबन्ध को अनुबन्धकर्त्ता की सहमति से आगे बढाया जा सकता है, बशर्ते कि तत्समय में राज्य सम्पत्ति विभाग की स्वीकृत दरों से अधिक न हो।
5. आमंत्रित निविदा हेतु वाहनों का पंजीकरण वर्ष 2018 से पूर्व का होने पर उनको अनुबन्धित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. अनुबन्ध अवधि में चालक/वाहन उपलब्ध न होने की दशा में फर्म के बिल से रू0 1,000/–प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी।
7. वाहन की मरम्मत /सर्विसिंग आदि के लिये माह में एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) का अवकाश अनुमन्य होगा किन्तु विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु अवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिये गये वाहनों को बुलाया जा सकता है, जिसके लिए निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

8. वाहन की उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर भी आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में प्रदेश से बाहर की यात्राओ के लिए टोल टैक्स का भुगतान अलग से मूल रसीद उपलब्ध कराये जाने पर एम0डी0डी0ए0 द्वारा दिया जायेगा।
9. वाहन की मरम्मत , बीमा तथा चालक का वेतन आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म / कम्पनी स्वामी की होगी तथा वाहन अन्दर एवं बाहर से पूर्ण स्वच्छ रखना होगा। वाहन में सीट कवर, तौलिया आदि रखना अनिवार्य होगा।
10. अधिकारी के कार्यालय से बाहर यात्रा पर रहने अथवा अवकाश पर रहने की दशा में वाहन चालक एम.डी.डी.ए के प्रशासनिक अनुभाग में वाहन सहित अपनी उपस्थिति देगा।
11. वाहन को मासिक रूप से योजित किये जाने पर अनुबन्धित दर का मासिक किराया एवं प्रयुक्त ईंधन की प्रतिपूर्ति औसत किमी0 के आधार पर की जायेगी।
12. अनुबन्धित वाहन से दिन व रात्रि में कार्य लिया जा सकता है। अतिरिक्त चालक की आवश्यकता होने पर चालक उपलब्ध कराने का दायित्व फर्म/सेवादाता का होगा।
13. वाहन चालक के पास मोबाईल सुविधा होना अनिवार्य है जो 24 घण्टा चालू हालत में रहेगा, जिससे वाहन चालक से सम्पर्क किया जा सके।
14. अनुबन्धित फर्म उपरोक्त शर्तों के साथ–साथ उन्हीं वाहनों को एम.डी.डी.ए को उपलब्ध करायेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटे में होगा तथा जिनका रोड टैक्स, फिटनेस एवं बीमा आदि का भुगतान किया गया हो। यदि इनके अभाव में **R.T.O** द्वारा वाहन का चालान किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व ट्रैवल एजेन्सी/संचालक/फर्म का होगा।
15. यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर फर्म को 01 घण्टे के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
16. न्यूनतम दरों पर चयनित फर्म यदि कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेगी तो निविदा हेतु दी गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. वाहन चालक को सेवायें प्रदान करते समय परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित स्वच्छ पोशाक में सेवायें देनी होगीं।
18. सेवा उपलब्ध कराते समय वाहन चालक किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का उपभोग नहीं करेगा तथा अधिकारी को नियत समय पर वाहन सहित उपस्थिति देगा।
19. यदि वाहन चालक द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है और इससे सम्बन्धी शिकायत कार्यालय को दी जाती है तो उक्त वाहन की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
20. वाहन चालक के पास वाहन से सम्बन्धित आवश्यक मूल दस्तावेज 24 घण्टे उपलब्ध रहेगें।
21. समस्त वाहन प्राधिकरण कार्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर से 05 कि0मी0 परिधि के अर्न्तगत ही गैराज में खडी करने हेतु दूरी अनुमन्य हो सकेगी। चालक द्वारा निर्धारित कि0मी0 के अतिरिक्त वाहन उपयोग करने पर अतिरिक्त कि0मी0 का भुगतान नहीं होगा।

22. आपूर्तिकर्ता फर्म/संचालक द्वारा वाहन की लॉगबुक में प्रत्येक माह वास्तविक कि0मी0 के आधार पर बिल तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक दिवस में वास्तविक तय की गई दूरी एवं स्थान को चालक द्वारा ड्यूटी स्लिप में अंकित किया जायेगा तथा इसका सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।
23. बैंक ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0 एवं अन्य हस्तचालित (मैनुअल) अभिलेख निविदा तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक..07...09..2020को 05.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
24. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी।
25. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय देहरादून मान्य होगा।
26. वाहन किराये के बिलों पर टी0डी0एस0 आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।